



प्रश्न सं. [क. 1441]

विधानसभा तारांकित क्रमांक 1441

विगत 04 वर्ष से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक खाचरौद एवं महिदपुर क्षेत्रांतर्गत दी गई विकास अनुमतियों की एजेंसियों के नाम निम्नानुसार हैं।

क्र.	एजेंसी का नाम	निकाय का नाम	विकास अनुमति क्रमांक व दिनांक	सिमांक
1	श्रीमति नीना पति श्री राजेन्द्र निगम	न.पा. खाचरौद	230 दि. 10. 04.2018	म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्त) नियम 1998 की धारा 13 के अनुसार कॉलोनी की विकास अनुमति की जारी होने की तिथि से अधिकतम 3 वर्ष के भीतर आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करना आवश्यक होता है जिसे 01 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
2	नवकार डेवलेपमेंट भागीदार श्री राजेश जैन	न.पा. खाचरौद	208 दि. 09. 03.2018	
3	श्री अरविंद अग्रवाल पिता श्री ब्रजमोहन अग्रवाल नागदा जिला उज्जैन	न.पा. नागदा	क्र. 78 दि. 21.06.2017	
4	मेसर्स सागर रियालिटीस भागीदार श्री कपिल पिता बसंतीलाल जैन, श्री संजय पिता रमेशचंद्र जायसवाल एवं श्री आशीष पिता सुभाषचंद्र जैन, खाचरौद	न.पा. खाचरौद	क्र. 145 दि. 12.12.17	
5	मेसर्स आदिनाथ इंटरप्राइजेस भागीदार श्री देवेन्द्र मरमट, निशा मरमट, हर्ष भंडारी, हीरालाल जैन, विजया जैन, हैमंत जैन, भूपेन्द्र छाजेड़ खाचरौद	न.पा. खाचरौद	क्र 229 दि. 10.04.2018	

  
प्रभारी अधिकारी  
कालोनी सेल  
कलेक्टर कार्यालय उज्जैन

  
अनुभाग अधिकारी  
मध्य प्रदेश शासन

राज्यीय विकास एवं आवास विभाग

  
Assistant Engineer  
Urban Administration & Development  
M.P. Bhopal